उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या– 06/2019

निर्मल बेदिया बनाम् D.F.O Ramgarh

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
06-04-2022	यह वाद अपीलार्थी निर्मल बेदिया पिता चैता बेदिया ग्राम ईचातु थाना रजरप्पा जिला रामगढ़ द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या 102/2017 में दिनांक 08.08.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 (ए) के तहत अपील दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश कानून सही नही है, जो खारिज करने योग्य है। अपीलार्थी जप्त ट्रैक्टर एवं ट्रैलर न जे0एच001 बीएफ 2886 का रजिस्टर्ड मालिक है। जिसे गलत तरीके से जप्त किया गया है। इनका आगे कहना है कि अपीलार्थी का ड्राईवर रैयती प्लॉट खाता न0 224 प्लॉट न0 07 कुल रकवा 0.64 ए0 जो उनकी अपनी भूमि है, से पत्थर (बोल्डर) ला रहे थे। जप्ती के समय ही अपीलार्थी द्वारा बनरक्षी को कागजात दिखलाया गया। अधिसूचित वन क्षेत्र दोहाकातू में सिजर नही किया गया, जबकि सिजर लिस्ट एन0एच0 33 में तैयार किया गया। इस प्रकार अन्दर धारा 33/41/42 आई0एफ0ए0 के अन्तर्गत नही आता है। अन्त में इनके द्वारा अपने आवेदन में दिये गये तर्को का समर्थन करते हुए निम्न न्यायालय का राज्यसात वाद संख्या 102/2017 में दिनांक 08.08.2018 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।	

सरकारी अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि दिनांक–22.09.2017 को लगभग 06 बजे सुबह वनरक्षी श्री चन्द्र किशोर पासवान, रामगढ़ अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र भ्रमण में थे। उस दौरान वन क्षेत्र दोहाकातु पी०एफ० में देखा कि एक ट्रैक्टर में पत्थर (बोल्डर) लोड़कर दोहाकातू, चुटुपालू की ओर ले जा रहा है। उक्त ट्रैक्टर को एन०एच०–33 चुटुपालू ओ०पी० के समीप रोककर अपराधी को गिरफ्तार किया गया एवं ट्रैक्टर सहित पत्थर को घटना स्थल पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जप्त ट्रैक्टर संख्या– अनिबंधित एवं उस पर लदे पत्थर को राज्यसात प्रारम्भ करने संबंधित प्रस्ताव वन क्षेत्र पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिया गया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा समर्पित अभियोजन से स्पष्ट होता है कि जप्त ट्रैक्टर संख्या–अनिबंधित एवं उस पर लदा 100 घनफीट पत्थर अधिसूचित वन क्षेत्र दोहाकातू से उत्खनित कर ले जा रहा था, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, 41 एवं 42 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखा जाय।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से सहमत होते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:10:31 +05:30
Location: 192.168.0.4

उपायुक्त,
रामगढ़।

06.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।